फाईल संख्या-23-14002(002)/1/2021 लोक निर्माण अनुभाग-14
संख्या-209/2021/आई0/103329/2021/लोक निर्माण अनुभाग-14

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) आयुक्त,
प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, विन्ध्यांचल, बस्ती, देवीपाटन मण्डल।

(2) मुख्य विकास अधिकारी,
प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, बाराबंकी, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर, अमेठी, गोरखपुर, कुशीनगर (पडरौना), महराजगंज, देवरिया, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मिर्जापुर, संतरविदासनगर (भदोही), सोनभद्र, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर एवं श्रावस्ती।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक 04 अक्टूबर, 2021**

विषयः- पूर्वान्चल विकास निधि (अनुदान संख्या-83) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट प्राविधान के सापेक्ष पूर्वान्चल विकास निधि से आच्छादित जनपदों के मध्य जिलांश का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-3543/फॉट/(83/56)/समग्र वृत्त/21-22, दिनांक 31.08.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल पूर्वांचल विकास निधि (अनुदान संख्या-83) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 10000.00 लाख (रू0 एक सौ करोड मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 5000.00 लाख (रू0 पचास करोड मात्र) संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार संबंधित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- आबंटित की जा रही धनराशि के समक्ष कोषागार से तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार आहरण किया जायेगा। यह धनराशि पी0एल0ए0, डिपोजिट खाते, बैंक अथवा डाकखाने आदि में नहीं रखी जायेगी।

3- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय/उपभोग हो जाने पर ही मुख्य विकास अधिकारी अगली किस्त की धनराशि का आहरण करायेंगे।

4- नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-120/35-5-98-15(49)97-270, दिनांक 15.01.1998 द्वारा पूर्वान्चल विकास निधि/बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत जिलांश के कार्यो की स्वीकृति का अधिकार मण्डलायुक्तों को प्रदान किये गये हैं। अत: उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों एवं प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जनपदों को आबंटित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत की जायेंगी तथा इसकी सूचना लोक निर्माण विभाग को दी जायेगी।

5- चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि से व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- पूर्वांचल विकास निधि से वित्त पोषित जिलांश के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का निर्धारण "संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड) निधियों से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्त दिनांक 19 सितम्बर, 2002 के पृष्ठ-3, प्रस्तर-6.1 से 6.7 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

7- योजनाओं क्रियान्वयन निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अधीन होगा:-

(1) योजनाओं पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाएगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0 एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यो को प्रारम्भ कराने के लिये स्वीकृत आगणनों के अनुसार कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी यह अवश्य देख ले कि पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड विकास निधि से स्वीकृत की गयी योजनाओं पर राज्य सरकार/भारत सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत न की गयी।

(5) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार, अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 को प्रेषित किये जायेंगे।

(6) जिन योजनाओं पर आंशिक धनराशि अवमुक्त की जाय, उन्हें पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष धनराशि उपर्युक्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि का कम से कम 2/3 भाग उपयोग होने के पश्चात ही स्वीकृत की जाय।

(7) योजनाओं के समयबद्ध एवं गुणात्मक क्रियान्वयन के लिए संबंधित मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु वे कार्यदायी संस्था से अपना प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

(8) मुख्य विकास अधिकारी "संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड) निधियों से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्त-2002" (यथासंशोधित) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वर्तमान मा0 सदस्य, विधान सभा/मा0 सदस्य, विधान परिषद के साथ बैठक करके प्रस्तावों को अंतिम रूप देंगे।

(9) कार्यो का चुनाव करते समय क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखा जायेगा।

(10) जनपद हेतु आवंटित धनराशि को जनपद के सभा विधान सभा क्षेत्रों में लगभग समान परिस्थितियों में समान धनराशि का आवंटन करके योजनायें स्वीकृत की जाय।

(11) निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व आगणन/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय ।

(12) जनपद स्तर पर योजनाओं को तैयार करते समय एवं उन योजनाओं को मण्डलायुक्त द्वारा स्वीकृत करते समय यह सुनिशिचत किया जाय कि एस0सी0पी/टी0एस0पी0 के मार्गदर्शी सिद्धान्त में उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधानों के अनुसार की गई है तथा चयनित/स्वीकृत कार्यो की प्रगति की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक लोक निर्माण विभाग तथा बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(13) मुख्य विकास अधिकारी एस0सी0एस0टी0/टी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप प्रस्तावों के अन्तिम रूप देने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

करायेगें। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-1425/क0नि0प्र0/26-3-2013 (21)/2013, दिनांक 10.10.2013 के प्रस्तर-(ब) के उप प्रस्तर-2 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ऐसी बसावटों/ग्रामों/ग्राम पंचायतों अथवा नगर पंचायतों जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संख्या कम से कम 25 प्रतिशत हो, में क्षेत्र आधारित लघु आधारभूत संरचनाओं की निर्माण संबंधी परियोजनाओं पर शत-प्रतिशत परिव्यय एस0सी0एस0पी0/ टी0एस0पी0 के अन्तर्गत आवंटित किया जायेगा।

(14) प्रस्तावित/ स्वीकृत योजनाओं में स्टाफ/वाहन पर होने वाला आर्वतक व्यय निहित न हो।

(15) मरम्मत कार्य, अत्यन्त लघु कार्य, कच्चे/सुन्दरीकरण के कार्य एवं जीर्णोद्वार से संबंधित योजनायें स्वीकृत न की जाय। इस संबंध में संतुलित क्षेत्रीय विकास(पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड) निधि के संचालन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त-2002 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाय।

(16) गत वर्ष अधूरी योजनाओं (यदि कोई हो) को पूर्ण करने हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाय, तदुपरान्त धनराशि नवीन योजनाओं हेतु स्वीकृत/व्यय की जाय ।

(17) योजनायें स्वीकृत करते समय इस बात का ध्यान रख जाय कि योजनायें एक ही वर्ष में पूरी हो जाय तथा केवल विशेष परिस्थितियों में ही इस प्रकार की योजनायें ली जाय, जो दो वर्षो में पूरी हो सकें।

(18) निधि से पोषित होने वाली योजनाओं में उन योजनाओं को प्राथमिकता दी जाय, जो जनपद स्तरीय विकास में हितकर हों एवं जिन पर जिला योजना अथवा राज्य योजना के द्वारा सामान्य रूप से धनराशि का आवंटन उपलब्ध न हो।

(19) पूर्वान्चल विकास निधि के जिलांश से ऐसे कार्य न कराये जाय जिनकी सूची संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड) निधि के संचालन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त-2002 (यथासंशोधित) के परिशिष्ट में उल्लिखित है।

(20) निर्माण कार्यो का क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुसार किया जाय।

(21) वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही प्राथमिकता के आधार पर महालेखाकार के आंकड़ों का सम्परीक्षण कराकर सम्परीक्षण आंकड़े शासन को अवश्य प्रेषित कर दिया जाय।

(22) इस शासनादेश द्वारा आंवटित धनराशि से स्वीकृतियां जारी किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1337/35-5-2002-8-(74)/2000-170, दिनांक 19-9-02 द्वारा निर्गत संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल/ बुन्देलखण्ड) निधि के संचालन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त-2002 एवं संशोधन संबंधी शासनादेश संख्या-2781/35-5-2002-8(74)/2000-170, दिनांक 11-12-2002 तथा शासनादेश संख्या-163/2020/ 515/23-14-2020-04(जनरल)/2020, दिनांक 01-10-2002 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(23) शासनादेश दिनांक 09-04-2007 तथा दिनांक 08-09-2007 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

8- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि रू0 5000.00 लाख (रू0 पचास करोड मात्र) का आहरण इस शासनादेश के संलग्नक के कालम-3 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के निम्नलिखित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत किया जायेगा:-

"4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-02-पिछडे क्षे.-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-पूर्वांचल की विशेष योजनाएं-24-वृहत् निर्माण कार्य।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-8-1332/दस-8-20212022, दिनांक 27 सितम्बर, 2021 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्या उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
(4) वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज।
(5) निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
(6) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
(9) मुख्य अभियंता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(10) संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
(11) वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी समस्त संबंधित जनपद।
(12) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या उपरोक्त तद्दिनांक का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पूर्वान्चल विकास निधि के कार्यो हेतु जिलांश का जनपदवार विवरण :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत जिलांश का आबंटन
1	**2**	**3**
1	वाराणसी	152.81
2	चंदौली	70.56
3	गाजीपुर	337.47
4	जौनपुर	630.97
5	सन्त रविदासनगर भदोही	35.50
6	मीरजापुर	98.15
7	सोनभद्र	68.55
8	गोरखपुर	182.37
9	महाराजगंज	117.14
10	देवरिया	64.37
11	कुशीनगर	147.79
12	बस्ती	128.02
13	सन्तकबीर नगर	20.53
14	सिद्धार्थनगर	30.22
15	आजमगढ़	355.50
16	मऊ	75.24
17	बलिया	152.59
18	प्रयागराज	244.43
19	कौशाम्बी	47.79
20	फतेहपुर	88.64
21	प्रतापगढ़	241.85
22	अयोध्या	60.06
23	अम्बेडकरनगर	73.46
24	सुलतानपुर	238.62
25	अमेठी	409.24
26	बाराबंकी	156.92
27	गोण्डा	204.33
28	बलरामपुर	8.82
29	बहराईच	464.91
30	श्रावस्ती	93.15
	पूर्वांचल क्षेत्र का योग-	**5000.00**

(रूपये पचास करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in